रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 1972/फाल्गुन 27, 1893
No 75] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 1972/PHALGUNA, 27, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 17th March, 1972.

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 153-Customs, dated the 23rd July, 1966, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for serial Nos. 1 and 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"1. Aviation gasoline and Alkylates as are used only for producing aviation gasoline.	Rs. 35,00 per kilolitre at 15 degrees of centi-grade thermometer.
5. Furnace oil.	Rs. 17.70 per kilolitre at 15 degrees of centi-grade thermometer."

[No. 44/F. No. 365/3/72-Cus. I.]

D. KRISHNAMURTI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1972

सा० का० नि० 104(अ)—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 23 जुलाई, 1966 की अधिसूचना सं० 153 सं म-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 1 और 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"1. विमानन गैसोलीन और ऐसे अल्किलेट जो केवल विमानन गैसोलीन के उत्पादन में काम आते हैं ।	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की 15 डिग्री पर 35.00 रु० प्रति किलोमीटर ।
5. अग्निसह तेल ।	सेण्टीग्रेड थर्मामीटर की 15 डिग्री पर 17.70 रु० प्रति किलोमीटर ।

[सं० 44/फा० सं० 365/3/72—सीमा-शुल्क 1]

डी० कृष्णामूर्ति, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972